संख्या-04-343/86-2015-198/2011

प्रेषक,

गेन्दन लाल,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 30 जनवरी, 2015

विषय- काश्तकारी भूमि पर बाढ़ के फलस्वरूप बालू/मौरम आदि उप खनिजों को हटाने हेतु खनन अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि काश्तकारी भूमि पर बाढ़ के फलस्वरूप बालू/मौरम आदि उप खनिजों को हटाने हेतु खनन अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करने विषयक शासनादेश संख्या-1816/86-2013-198/2011, दिनांक 29.08.2013 को रिट याचिका संख्या-10110(एम/बी)/2013, श्री कृष्णा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 30.10.2013 द्वारा रिट याचिका के अनुलम्बित रहने की अवधि तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 में 37वें संशोधन द्वारा कृषिकीय भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू/मौरम को हटाने हेतु खनन अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति की प्रक्रिया नियमावली के नियम-52क में प्राविधानित कर दिये जाने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-3792/86-2014-198/2011, दिनांक 24.12.2014 द्वारा संदर्भगत शासनादेश दिनांक 29.08.2013 को तात्कालिक प्रभाव से वापस ले लिया गया है किन्तु प्रश्नगत रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2013 द्वारा पारित स्थगनादेश अभी अपास्त नहीं हुआ है। अतः उक्त स्थगनादेश के अपास्त होने तक काश्तकारी भूमि पर बाढ़ के फलस्वरूप बालू/मौरम आदि उप खनिजों के हटाने हेतु खनन अनुज्ञा-पत्र स्वीक़त करने के सम्बन्ध में कार्यवाही स्थगित करने का कष्ट करें ताकि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना की स्थिति उत्पन्न न हो।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(गेन्दन लाल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in